**संख्या-41/2024/590/12-5099/51/2021**

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेशशासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 29 मई, 2024**

विषय:- अटल भूजल योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 से 2026-27 की अवधि हेतु वित्त पोषित फसल विविधीकरण की तीन वर्षीय कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/अभि०/58/2024-25/अ०भू०यो०, दिनांक 22 मई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2024-25 से 2026-27 की अवधि हेतु अटल भूजल योजना द्वारा वित्त पोषित फसल विविधीकरण की तीन वर्षीय कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

**1-** अटल भूजल योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग (50:50 प्रतिशत) से देश के 07 राज्यों हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने, भूजल के संरक्षण, संवर्द्धन एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु 01.04.2020 से लागू की गई है। इस योजना में उत्तर प्रदेश के 10 जनपद-झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, मेरठ, बागपत, शामली एवं मुजफ्फरनगर के 10 विकासखण्डों के 550 ग्राम पंचायतें, जिनमें 865 राजस्व गांव सम्मिलित हैं, आच्छादित है।

**2- <u>अटल भूजल योजना में अनुमन्य कार्य</u>**

योजना में मुख्यतः जल की मांग एवं आपूर्ति साइड में विभिन्न गतिविधियों को चिह्नित किया गया है। सप्लाई साइड में वर्षा जल को रोकने, संरक्षित करने हेतु विभिन्न भूमि एंव जल संरक्षण गतिविधियों का प्राविधान है जबकि डिमाण्ड साइड में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग हेतु गतिविधियों के कार्य अनुमन्य हैं, जिसमें भूमि समतलीकरण, सिंचाई जल वितरण हेतु भूमिगत पाइप वितरण, वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना, मल्चिंग, कम पानी की खपत वाली फसलों के प्रदर्शन एवं उनको बढ़ावा देने से सम्बन्धित कार्य सम्मिलित हैं।

**3- <u>वित्तीय प्रणाली</u>**

**(क) समामेलन (Convergence) -** योजना के अन्तर्गत चिह्नित गांवों में राज्य/केन्द्र की विभिन्न योजनाओं से डी0एल0आई0-4 (disbursement link indicator) समामेलन (convergence) के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो एवं वित्तीय व्यय के सापेक्ष भारत सरकार से योजना में प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त होती है, जिससे योजना में

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानित अन्य कार्य कराये जा सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा इस मद में चिन्हित गांवों में राज्य पोषित पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उप घटक पी0डी0एम0सी0 (ओ0आई0) से वित्त पोषित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना में निर्धारित रू० 23.20 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष रू० 21.93 करोड़ का व्यय किया गया है तथा 2024-25 की कार्ययोजना में रू० 20.93 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित हैं। विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन किया जाता है।

**(ख) प्रोत्साहन राशि (Incentive component) -** अटल भूजल योजना के डी0एल0आई0-4 (disbursement link indicator) के अन्तर्गत उपलब्ध जल के समुचित उपयोग हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधियों पर भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। डी0एल0आई0-4 के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित हैं :-

1. Adoption of micro-irrigation practices.
2. Crop diversification towards low water usage crops.
3. Promotion of water saving techniques in agriculture viz UG pipeline, mulching, land levelling, vermi compost, poly house etc.
4. Adoption of electricity feeder separation for agricultural users.

अटल भूजल योजना की गाइडलाइन में उक्त गतिविधियों का क्रियान्वयन करने हेतु डी0एल0आई0-4 के अन्तर्गत इन्डीकेटर के रूप में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है :-

**(i)** कुशल जल प्रबन्धन सिंचाई प्रणाली विकसित किया जाना
- स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली
- पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई किया जाना

**(ii)** कम जल खपत वाली फसलों के क्षेत्रफल में वार्षिक वृद्धि
- अधिक जल खपत वाली फसलें-धान, गन्ना, कपास, आम, हल्दी, केला आदि
- कम जल खपत वाली फसलें - मिलेट, मोटा आनाज, दलहन, तिलहन

**(iii)** सिंचाई जल की बचत हेतु किये जाने वाले कार्यो में वार्षिक वृद्धि
- सुपरसीडर, हैप्पी सीडर, जीरोटिलेज मषीनों को प्रयोग
- पॉली हाउस/नेट हाउस
- मल्चिंग
- हाइड्रोजल
- डी0एस0आर0- धान की सीधी बुवाई

**4-** दिनांक 19.03.2024 एवं 01.04.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना की समीक्षा बैठक में उक्त गतिविधियों के संचालन से 15000 हे0 क्षेत्रफल आच्छादित किये जाने के लिए दिये गये निर्देशों में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित रणनीति है :-

**(i) डी0एस0आर0 पद्वति से धान की बुवाईः-** धान की सीधी बुवाई से 15 से 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है। अतः इस मद में 1000 हे0 में धान की सीधी बुवाई का लक्ष्य निर्धारित है। 0.4 हे0 के प्रदर्शन पर किसान को अटल भूजल के इन्सेन्टिव फण्ड से रू० 2000.00 का व्यय किया जाए।

**(ii) सुपरसीडर/हैप्पीसीडर/जीरोटिल से फसलों की बुवाईः-** इस मद में 8000 हे0 क्षेत्रफल में सुपरसीडर/हैप्पीसीडर/ जीरोटिल खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई करायी जाए, जिससे फसलों की बुवाई हेतु खेत की तैयारी हेतु

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सिंचाई नहीं करनी होगी तथा पानी की बचत होगी। इस मद में 0.4 हे0 के प्रदर्शन पर किसान को रू० 2000 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाए।

(iii) **लेजर लैण्ड लेवलरः-** लेजर लैण्ड लेवलर से भूमि के समतलीकरण के पश्चात् सिंचाई जल समान रूप से पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे खेत के किसी भी भाग में पानी का एकत्रीकरण नहीं होता है। भूमि समतलीकरण की इस प्रक्रिया से सिंचाई जल उपयोग में कमी आती है। योजना के अन्तर्गत 4000 हे0 क्षेत्रफल में कराया जाए। इस मद में 0.20 हेक्टेयर क्षेत्रफल के फसल बुवाई से पूर्व लेजर लैण्ड लेवलर द्वारा समतलीकरण कार्य पर कृषक को रू० 2000 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाए।

(iv) **पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाईः-** पानी के श्रोत (ट्यूबवेल, पम्पसेट) से खेत तक पानी पहुचाने हेतु सिंचाई नालियों में पानी के वाष्पीकरण एवं सीपेज से सिंचाई जल का ह्रास होता है। खेत तक भूमिगत पाइप के माध्यम से सिंचाई करने से सिंचाई जल की बचत होती है तथा सिंचाई के समय मे भी कमी आती है। इस मद के अन्तर्गत 1400 हे0 में सिंचाई जल पाइप वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 110 एम0एम0, 90 एम0एम0 एवं 75 एम0एम0 एच0डी0पी0ई0 पाईप 4 क्रि0ग्रा0 प्रति सेमी2 6मी0 पाईप की दर क्रमशः रू० 1813.00, रू० 1208.34 एवं रू० 848.16 है, जिस पर उद्यान विभाग की तरह लघु एवं सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान पर जी0एस0टी0 सहित दिया जाना है। एक हेक्टेयर हेतु 16 पाईप लम्बाई 6मी0/पाईप एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर तक 32 पाईप पर अनुदान अनुमन्य होगा, जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-1198/2563422/12-5099/51/2021, दिनांक 09.11.2023 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। धनराशि की बचत होने पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अतिरिक्त पाईप दिये जायेंगे।

(v) **मल्चिंगः-** मक्का, मूंगफली एवं सब्जियों जैसी फसलों में सतत् रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन फसलों में मल्चिंग के प्रयोग से पानी के वाष्पीकरण को रोककर अगली सिंचाई के समय में वृद्वि की जा सकती है, जिससे कुल सिंचाई की संख्या एवं पानी की खपत में कमी आयेगी। इस मद के अन्तर्गत 1000 हे0 क्षेत्रफल में मल्चिंग के कार्य पर रू० 2000/हेक्टेयर की दर से अनुदान अनुमन्य है।

**5-** जल की महत्ता / इसके समुचित उपयोग, जल संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु किए जाने वाले कार्यो के प्रति जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न स्टेक होल्डर्स के क्षमता वर्द्धन एवं इसके व्यापक रूप से कृषि पद्धति में
समायोजित किए जाने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु यथावश्यक उपाय एवं जागरूकता के सम्बन्ध में विशेष कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

5.1 **राज्य स्तरीय कार्यशाला-** इस मद में प्रदेश स्तर पर एक वृहद कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें जल संरक्षण एवं जल उपयोग से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षित किया जाए। इस कार्यशाला पर रू० 5.00 लाख का व्यय किया जाना है।

5.2 **जनपद स्तरीय कार्यशाला-** इस मद में जनपद स्तर पर 10 कार्यशालाओ का आयोजन किया जाए, जिसमें जल संरक्षण एवं जल उपयोग से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षित किया जाए। इन कार्यशालाओं पर रू० 10.00 लाख का व्यय किया जाना है।

5.3 **विकासखण्ड स्तरीय कार्यशाला-** इस मद में विकास खण्ड स्तर पर 26 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, जिसमें जल संरक्षण एवं जल उपयोग से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षित किया जाए। इन कार्यशालाओं पर रू० 13.00 लाख का व्यय किया जाना है।

5.4 **ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यशाला-** इस मद में ग्राम पंचायत स्तर पर 550 कार्यशालाओ का आयोजन किया जाए, जिसमें जल संरक्षण एवं जल उपयोग से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षित किया जाए। इन कार्यशालाओं पर रू० 55.00 लाख का व्यय किया जाना है।

5.5 कार्ययोजना वर्ष 2024-25 से 03 वर्ष तक संचालित की जायेगी, जिसमें निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय आवश्यकता का विवरण निम्नलिखित है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई | वार्षिक भौतिक लक्ष्य | दर (लाख रू0 में) | प्रतिभागियों की संख्या | वित्तीय आवश्यकता (लाख रू0 में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
| | **क- तकनीकी कार्यमद** | | | | | | | |
| 1 | डी0एस0आर0 पद्धति से धान की बुवाई (0.4 हे0/प्रदर्शन) | हे0 | 1000 | 0.05 | 2500 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | सुपरसीडर/हैप्पीसीडर/जीरोटिल से फसलों की बुवाई | हे0 | 8000 | 0.05 | अधिकतम 2 हे0/ कृषक | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | लेजर लैण्ड लेवलर | हे0 | 4000 | 0.10 | " | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 4 | पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई प्रणाली का विकास (प्रति हे0 75% एवं 65% सब्सिडी) | हे0 | 1400(No. Of Pipe 22400) | 0.22 | " | 308.00 | 308.00 | 308.00 |
| 5 | मल्चिंग | हे0 | 1000 | 0.02 | " | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | **योग** | | **15400** | | | **818.00** | **818.00** | **818.00** |
| | **ख- क्षमता विकास कार्यक्रम** | | | | | | | |
| 1 | राज्य स्तरीय कार्यशाला | सं० | 1 | 5 | 1000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | जनपद स्तरीय कार्यशाला | सं० | 10 | 1 | 500 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | सं० | 26 | 0.50 | 200 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 4 | ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | सं० | 550 | 0.10 | 50 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| | **योग** | | | | | **83.00** | **83.00** | **83.00** |
| **ग** | **जनपदों हेतु विविध व्यय** | | | | | 16.36 | 16.36 | 16.36 |
| | **महायोग** | | | | | **917.36** | **917.36** | **917.36** |

5.6 उपरोक्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदवार कार्ययोजना कृषि निदेशालय स्तर पर तैयार की जायेगी।

## 6- वित्तीय प्रबन्धन-

योजना का वित्त पोषण भूगर्भ जल विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा। भूगर्भ जल विभाग द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित अटल भूजल योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि विभाग हेतु रू० 388.00 करोड़ की कार्ययोजना पूर्व से ही स्वीकृत है, जिसमें कम जल खपत वाली फसलों के प्रदर्शनों के साथ-साथ कुशल जल प्रबन्धन कार्यक्रमों के कार्यमद भी सम्मिलित है। कार्ययोजना का वित्त पोषण उक्त स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष भूगर्भ जल विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के इन्सेन्टिव मद से प्राप्त आवंटित धनराशि से किया जायेगा।

## 7- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

(i) कृषि निदेशालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन अधिकारी अपर कृषि निदेशक(गेहूँ एवं मोटा अनाज) होंगे, जो योजना में आवश्यक कार्य मदों यथा बीज मिनीकिट एवं प्रदर्शनों हेतु बीज की व्यवस्था उसके वितरण, प्रशिक्षण एवं भ्रमण आदि समस्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा प्रगति प्रेषण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ii) कृषि निदेशालय स्तर पर अटल भूजल योजना के नोडल अधिकारी अपर कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण) निर्धारित हैं, वह इस योजना के समस्त घटकों यथा फसल विविधीकरण की कार्ययोजना, खेत तालाब योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से कराये जा रहे कन्वर्जेन्स कार्यक्रमों तथा अटल भूजल योजना के इन्सेन्टिव मद के अन्तर्गत डिमाण्ड साइड एवं सप्लाई साइड में कराये जा रहे अन्य कार्यों की संकलित रिपोर्ट भूगर्भ जल विभाग को प्रेषित करेंगे।

(iii) मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक योजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रभारी होंगे।

(iv) जनपद स्तर पर योजना का क्रियान्वयन उप कृषि निदेशक द्वारा जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा, जो योजना का ससमय क्रियान्वयन कराते हुए जनपद स्तर पर स्थापित अटल भूजल योजना के जिला

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रियान्वयन इकाई (डी0पी0यू0) को मासिक प्रगति प्रेषित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का आनलाइन एम0आई0एस0 कराते हुए निर्धारित प्रारूपों पर मण्डलीय अधिकारी के माध्यम से प्रगति का प्रेषण अपर कृषि निदेशक(गेहूँ एवं मोटा अनाज) को करेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
उप सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।